भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-5176

उत्तर दिनांक 02/04/2025 को दिया गया

भारत की परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की स्थिति

5176. श्री के. सुधाकरन

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) हाल की नीतिगत पहलों में उल्लिखित परमाणु ऊर्जा की क्षमता में विस्तार में कितनी प्रगति हुई है और उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी की क्या भूमिका है और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निवेश पर इसका क्या प्रभाव है; और

(ग) सरकार की भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या रणनीति है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) आरएपीएस-7 (700 मेगावाट रिएक्टर) को 17 मार्च, 2025 को ग्रिड से जोड़ा गया, जिससे प्रचालनरत रिएक्टरों की कुल संख्या 25 हो गई। इसके अलावा, अतिरिक्त 13600 मेगावाट क्षमता क्रियान्वयनाधीन है जिसके क्रमिक पूर्णता के साथ वर्ष 2031-32 तक कुल क्षमता 22480 हो जाएगी।

(ख) निजी क्षेत्र पहले से ही नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं के उपकरणों के विनिर्माण, परियोजनाओं की आपूर्ति और निष्पादन में बड़े स्तर पर भाग ले रहा है। इसके अलावा, भारत लघु रिएक्टर (बीएसआर) की स्थापना के लिए मौजूदा कानूनी ढांचे के भीतर निजी निवेश को नाभिकीय विद्युत उत्पादन में सक्षम किया गया है।

(ग) न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) में नाभिकीय ऊर्जा के सभी पहलुओं में संरक्षा और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। नाभिकीय विद्युत संयंत्रों में स्थल चयन, अभिकल्प, निर्माण, कमीशनन एवं प्रचालन में संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद की संहिताओं और दिशा-निर्देशों के अनुरूप नाभिकीय विद्युत संयंत्रों का अभिकल्प पुनरावृत्ति तथा विविधता के संरक्षा

सिद्धांतों को अपनाते हुए किया जाता है और गहन संरक्षा सिद्धांत का अनुपालन करते हुए 'विफल-संरक्षित (फेल-सेफ)' अभिकल्प विशेषताएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इनका प्रचालन उच्चतम योग्य, प्रशिक्षित और लाइसेंस प्राप्त कर्मियों द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं को अपनाते हुए किया जाता है। एक मजबूत और स्वतंत्र नियामक तंत्र मौजूद है और एईआरबी द्वारा नाभिकीय विद्युत संयंत्रों की संरक्षा की लगातार निगरानी और समीक्षा की जाती है।

संरक्षा के संदर्भ में, सभी नाभिकीय विद्युत संयंत्रों को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) द्वारा सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है और सभी प्रचालित नाभिकीय बिजलीघरों में इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली और साइबर सुरक्षा जैसे विभिन्न अन्य संरक्षा प्रावधान मौजूद हैं। इन प्रणालियों का नियमित रूप से ऑडिट, समीक्षा और आवश्यक उन्नयन किया जाता हैं।

*****